

RCMS
2018/00034
27/2/19 मिति

(2)

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम सुभेसिंह वल्ड भोमसिंह का
राजपूत का आटाला
मु. न. 21 सन 2018

किसम मुकद्दमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इन्सियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/9/18	<p>पटवारी हल्का सडा ने रिपोर्ट पेश कर सुचित वि या कि उक्त अप्रार्थी ने सवत 2075 में मौजा आटाला के खसरा नं० 99 रकबा 112 बीघा किसम भूमि गौवा पर ताजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेर सायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15/10/2018 को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी</p>	
15/10/18	<p>पत्रावली आण प्रस्तुत हुई। गेर सायल उपस्थित। गेर सायल ने अतिक्रमण दायरे हेतु समझ याद की दी जाकर पत्रावली आईडी दिनांक 29/10/18 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी</p>	सुभेसिंह

15-119

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पट्टे से बंदखनी के बंदखनी में मौका रिपोर्ट 894। समरपण जारी है। पत्रावली कायदा दि. 31.1.19 को प्रस्तुत है।


तहसीलदार सिणधरी


31/1/19


पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पट्टारी हत्का के बंदखनी के बंदखनी में मौका रिपोर्ट अज्ञात। समरपण जारी है। पत्रावली आई-ग्रा डिजांक 27/2/19 को प्रस्तुत है।


तहसीलदार सिणधरी


27/2/19

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पट्टारी हत्का उपस्थित। पट्टारी हत्का के अग्रिकमण हटाने संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल सुधार होकर दाखिल दफतर है।


तहसीलदार सिणधरी


29/2/19
प. सदा

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के पृष्ठ सं. 16 पर क्र.सं. 3 पर जुमाना/फसल निलामी राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।


तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी